न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 31 / 2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. देवीसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत 2. हडमतसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत के का0मु0 2.1 श्रीमती भंवरकंवर पत्नी हडमतसिंह 2.2 सुरेन्द्रसिंह पुत्र हडमतसिंह 2.3 महेन्द्रसिंह पुत्र हडमतसिंह 2.4 दलपतसिंह पुत्र हडमतसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण देवाड़ा तहसील व जिला जालोर 2.5 अन्दरकंवर पत्नी श्रवणसिंह पुत्री हडमतसिंह जाति राजपूत निवासी समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बाडमेर 2.6 सन्तोषकंवर पत्नी जीतूसिंह पुत्री हडमतसिंह जाति राजपूत निवासी जड़ीया (गुजरात		वरदसिंह पुत्र राजसिंह के का0मु0 1. रसालकंवर पत्नी वरदसिंह 2. नारायणसिंह पुत्र वरदसिंह 3. कमलसिंह पुत्र वरदसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण देवाड़ा तहसील व जिला जालोर 4. प्रसन्न कंवर पुत्री वरदसिंह पत्नी हिन्दूसिंह जी जाति राजपूत निवासी सेला तहसील गढ़ सिवाणा जिला बाड़मेर 5. अंगासकंवर पुत्री वरदसिंह पत्नी सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी सेला तहसील गढ़ सिवाणा जिला बाड़मेर 6. कैलाशकंवर पुत्री वरदसिंह पत्नी भीमसिंह जाति राजपूत निवासी सिणेर तहसील गढ़ सिवाणा जिला बाड़मेर 7. माफीकंवर पुत्री वरदसिंह जाति राजपूत निवासी रेवाड़ा तहसील व जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7

–: निर्णय :–

दिनांक : 11/2/19

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67 / 2013 वरदसिंह बनाम देवीसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 23.06.2015 को अपास्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया तथा न ही अपीलाण्ट को कोई नोटिस जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होना अंकित है, जबकि पत्रावली के संलग्न जो तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह फरवरी माह में भिजवाया जाना अंकित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पिछली तारीख में रिपोर्ट प्राप्त कर विधि विरूद्ध रूप से राजस्व लोक अदालत में अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली विचारण से पूर्व ही हडमतसिंह फौत हो चुका था, जिसके वारिशान को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया एवं न ही राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह एकतरफा है। मौके की वास्तविक स्थिति यह है कि रेस्पोडेन्ट के पिता/पति की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 228 व 232 में जाने के लिए सुगम व सरल रास्ता उपलब्ध है, जो रास्ता मुख्य सड़क से लगता हुआ खसरा नम्बर 228 व 230 के दक्षिण की तरफ तरमीमसुदा रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 230 जो वरदसिंह के भाई रामसिंह का है, के बेरे तक जाता है, उक्त बेरा खसरा नम्बर 228 व 230 का शामलाती बेरा है, जिसके कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने बेरे पर जाने के लिए खसरा नम्बर 230 की पूर्वी माठ से अपने बेरे तक जाता है, उसके आगे खसरा नम्बर 228 है। इसी प्रकार उत्तर में खसरा नम्बर 206 सरूपा वागरी के बेरे तक एक बिना तरमीमसुदा रास्ता खसरा नम्बर 206 की दक्षिणी माठ के अन्दर होता हुआ चलता है, जो सरूपा वागरी के बेरे तक जाता है, जिसके खसरा नम्बर 205 व 204 है, इस रास्ते का उपयोग करते हुए भी वरदसिंह व उसके वारिशान अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करते है। तहसीलदार द्वारा उन रास्तों का अपनी रिपोर्ट में कोई उल्लेख ही नहीं किया। इसी रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट दिनांक 30.05.2016 को अपनी खातेदारी भूमि में कृषि कार्य करवा रहा था, तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अपीलाण्ट को एलानियां धमकी दी कि जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में रास्ते का दावा कर हमने एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित करवा दिया है तथा उक्त निर्णय की पालना में रास्ता निकालेंगे। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्रकरण की प्रतिलिपियां प्राप्त की, तो अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी हुई। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील को अन्दर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मियाद शुमार करवाने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसे स्वीकार किया जावे एवं अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जालोर से रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन के मार्ग का अभाव सिद्ध होना तथा निकटतम मार्ग अपीलाण्ट की भूमि में से प्रस्तावित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 233 में से रेस्पोडेन्ट के आवागमन सुचारू करने हेतु रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि वांछित रास्ते की भूमि अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति रेकर्ड पर लाने हेतु तहसीलदार जालोर को निर्देशित किया, जिस पर तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.02.2014 में यह जाहिर किया कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई मार्ग नहीं है। अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से यदि रास्ता दिया जाता है, तो वह रास्ता निकटतम एवं लघुतम होगा। इस रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जैर अपील आदेश की सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी किया गया है एवं न ही उन्हे तलब कराने हेतु कोई आदेश ही पारित किया गया। इससे यह सिद्ध होता

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से एक खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उसकी खातेदारी भूमि में से रास्ता निकालने का आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त जैर अपील निर्णय राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान् की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान में सहमति के बिना, उनकी अनुपस्थिति में जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67/2013 वरदसिंह बनाम देवीसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 23.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट आदि तैयार करवा कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों की परिधी में प्रकरण की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर